



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे।

## ‘मैं राजस्थान के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ’

कारगिल विजय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस के रजत जयन्ती समारोह में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्लीदों के साथ मोर्चा सम्भालने वाले हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिगरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिगरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवानी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सबरिगरिया मेजर जनरल आर एस गोदारा सहित भारतीय सेना के उच्चाधिकारी, सैनिक, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

गलता पीठ प्रकरण में यथास्थिति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एकलपीठ ने संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने के आरोप की सुनवाई करते हुए मठ के महंत की नियुक्ति करने की व्यवस्था पर ही फैसला दे दिया है, जबकि एकलपीठ ने अपने फैसले में भी माना है कि रामोदराचार्य की मृत्यु के बाद उनका महंत पद समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक मई 1943 को जयपुर स्टेट के हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को मूर्ति के स्वामित्व में नहीं मानकर महंत के स्वामित्व में माना था। इसका विरोध करते हुए हिंदू विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माधुर ने कहा कि जयपुर स्टेट के तत्कालीन हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को गलता पीठ का माना था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के पिता को मेरिट के आधार पर तत्कालीन जयपुर स्टेट ने नियुक्त किया था और अपीलार्थी को महंत के रूप में नियुक्त नहीं किया था। माधुर ने अदालत को कहा कि अपीलार्थी ने उत्तराधिकार

के आधार पर स्वयं को महंत घोषित कर दिया, इसके अलावा अपीलार्थी ने गलता पीठ की कई संपत्तियों को खुर्द-बुर्द भी किया है।

कर्ता दो घंटे से ज्यादा सुनवाई होने के बाद करीब 4.30 बजे अदालत के उठने का समय आ गया था, तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें सुचना मिली है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर अवधेशाचार्य के घर का ताला तोड़ रहे हैं और मठ के आसपास की दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को इस अपील की पूर्ण सुनवाई करनी होगी तथा तब तक यथा स्थिति बनाई रखी जाये। जिस पर अदालत ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और मामले में सरकार की तरफ से इतनी त्वरित कार्यवाही करने पर भी नाराजगी जताई। स्वामी अवधेशाचार्य के वकीलों ने बताया कि अदालत का फैसला आने तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनका परिवार ही पीठ में पूजा अर्चना जारी रखेगा।

भारतवासी 58 देशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया जाता है। इसके विपरीत 2024 में, भारत 82वें स्थान पर है और 58 देशों की बीजा प्री यात्रा करवा रहा है, जिसमें इण्डोनेशिया, मालदीव और थाइलैण्ड जैसे लोकप्रिय पर्यटक देश शामिल हैं। भारत की वैकिंग में सुधार हुआ है। वह वर्ष 2023 में 84वें और वर्ष 2022 में 83वें स्थान पर था।

भारत के नागरिक अब अंगोला, बारबडोस, भूटान, बोलीविया, ब्रिटीश, जर्मनी, आइसलैंड्स, बुरुण्डी, कम्बोडिया, केप वर्ड आइसलैंड्स, कमास आइसलैंड्स, कुक आइसलैंड्स, ज़िंबुवी, डोमिनिका, इथोपिया, फिजी, ग्रेनडा, गुयाना, बिसाऊ, हैती, इन्डोनेशिया, ईरान, जर्मनी, जार्डन, कजाखस्तान, केन्या, किरिबाती,

लाओस, मकाओ (एस.ए.आर. चीन), मैडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, मॉरीतानिया, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया, मांटसरा, मोजम्बीक, म्यांमार, नेपाल, न्यू पलाउ आइलैंड्स, कतर, रवांडा, सेमोआ, सेनेगल, सेशलस, सिएरा लियोन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट कित्स एवं नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट एवं ग्रेनेडाइन्स, तंज़ानिया, थाइलैण्ड, तिमोर लैस्त, ट्रिनिडाड एवं टोबेगो, ट्यूनिशिया, तुवालु, वनुआतु और जिम्बाब्वे की बीजा प्री यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान के कमजोर पासपोर्ट की रैंक यमन के बराबर है और वह पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इराक (101), सीरिया (102) और अफगानिस्तान (103) से आगे है।

## मोची की गुमटी में बैठ चप्पल की सिलाई की राहुल गांधी ने

सुल्तानपुर, 26 जुलाई (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर न्यायालय में पेशी से वापस होते समय एक मोची की दुकान पर रुके और अपने चर्चित अंदाज में जूते और चप्पलों में टांके लगाए और उसका कुशलक्षेम पूछा। मोची ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नेता विपक्ष का स्वागत किया।

गांधी आज सुल्तानपुर में मानहानि के एक मामले में अपना बयान दर्ज करवाते पहुंचे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही पूरी करने के बाद राहुल पुनः पूर्वांचल

प्रियांका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जावब दें, इसे रोकने की पहल करें।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद प्रियांका ने इजराइल सरकार को बर्बर करार दिया। प्रियांका का यह कोर्ट पर पार्किंग नहीं होने दें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि साल 2009 में आई.ओ.सी.एल. के फूल आंयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। डिपो की आग एक हफ्ते धधकती रही और प्रशासन देखा रहा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया गया जबकि राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011

‘एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट ...

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए अदालत में सांगेनर पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आई.ओ.सी.एल. परिसर के बाहर गैस के टैंकर व सिलेंडर भरने वाले को अवैध तौर पर पार्किंग नहीं होने दें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि साल 2009 में आई.ओ.सी.एल. के फूल आंयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी। डिपो की आग एक हफ्ते धधकती रही और प्रशासन देखा रहा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया गया जबकि राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011

की रिपोर्ट में माना था कि आई.ओ.सी.एल. के सीतापुर स्थित थरेलू गैस के बाटलिंग प्लांट को जातपुरा व सीतापुर में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1996 में यहां पर आबादी नहीं थी और इसलिए ही जयपुर से 30 किमी दूर इस जगह पर बाटलिंग प्लांट बना। इस प्लांट में जमनागर लुग्नी गैस पाइप लाइन से एल.पी.जी. उच्च दबाव पर सप्लाय होती है। इसके ऊपर ही महात्मा गांधी अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रूपए का जुर्माना दसूरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रु का जुर्माना लगाया गया।

आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा शासित उज्जैन महानगर पालिका ने ऐसा ही एक संकुलन जारी किया है जिसमें शहर में मुस्लिमों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों व संस्थानों के बाहर अपना नाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करवाएं। उज्जैन महानगर पालिका के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रूपए का जुर्माना दसूरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रु का जुर्माना लगाया गया।

# सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार पर लगे ‘स्टे’ की अवधि

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उस पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि “हमने हमारे 22 जुलाई के आदेश में वही कहा है, जिस बात को कहने की आवश्यकता थी। किसी को भी नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।”

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की ओर सरकार के निर्देशों का यह कहते हुए बचाव किया कि कांवेड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ढाबा मालिकों के द्वारा उनके नाम बाहर प्रदर्शित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके पीछे पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है ताकि “सम्भावित भ्रम की स्थिति” को टाला जा सके और शान्तिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित की जा सके। रोहतगी ने इस मामले की सुनवाई अंगले

सोमवार अथवा मंगलवार को करने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि “मैं (उत्तर प्रदेश सरकार) एकतरफा अन्तरिम स्टे आदेश से पीड़ित हूँ और यदि मामले में देरी की गई तो यह मामला निरर्थक हो जाएगा।” उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि राज्य सरकार तो सामान्य रूप से उस कानून को लागू कर रही थी जो कानून संसद ने बनाया था तथा जिसके तहत जरूरी है कि दुकानदार अपना नाम दुकान के बोर्ड पर लिखें और याचिकाकर्ता ने पहले से बने हुए इस कानून के बारे में कोर्ट को सूचित नहीं किया। इस तर्क पर बेंच ने कहा कि “ऐसा है तो फिर इसे सब जगह पर लागू किया जाना चाहिए, न कि कुछ राज्यों में ही। यह बताते हुए जबाबी हलफनामा दाखिल करें कि उसने

सब जगह पर लागू किया जाएगा।” इसके बाद, बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी ताकि उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश सरकारें भी उनका दाखिल कर सकें। कोर्ट ने भक्तो/कांवेड़ यात्रियों की ओर दाखिल की गई हस्तपत्रों को और दाखिल से इन्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (पी.आई.एल.) के जवाब में दाखिल शपथपत्र में कहा कि “इस बात पर गौर किया जाए कि इन निर्देशों को जारी करने का विचार यह है कि कांवेड़ यात्रा के दौरान जो भी उपभोक्ता अर्थात् कांवेड़िया जो भी खाना खाना चाहता है, उसे उस खाद्य पदार्थ के बारे में यह जानकारी हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे, यह

निर्णय यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे पलटती से भी अपने विश्वासों से गलत न हो जाएं।” एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टी.एम.सी. सांसद महेश मोहन, प्रोफ. अपूर्वचन्द्र झा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों की वैधता को चुनौती दी थी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी ने रोहतगी के तर्कों का विरोध किया। सिंघवी ने अपने तर्क में बेंच से कहा कि अस्थायी प्रकृति के निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि इनसे भोजन विक्रेताओं के प्रति किसी प्रकार का स्थायी भेदभाव नहीं होगा और भी इन इससे उनके लिए कोई मुश्किल

स्थिति उत्पन्न होगी इसके साथ ही साथ कांवेड़ियों की धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित रहेगी तथा उनके धार्मिक विश्वास व श्रद्धा भी बनी रहेगी।” “इसलिए वे कह रहे हैं कि इसमें भेदभाव दिखाते हैं परंतु यह स्थायी आदेश नहीं है।” उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर स्टे लगाते समय 22 जुलाई को उसके स्टे आदेश में कहा गया था कि, “हमने उपरोक्त निर्देशों को लागू करने पर रोक का अन्तरिम आदेश उचित समझ कर पारित किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो खाद्य पदार्थ विक्रेताओं, थड़ी डेले वालों इत्यादि के लिए एक अस्थायी है वे कांवेड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार को अपनी दुकान पर प्रदर्शित करें परंतु उन्हें उच्च मालिक का नाम और कार्यत्

कर्मचारियों का नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।” याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं तथा पहचान करने के अलावा धर्मनिरपेक्षता को उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, यह निर्णय कानून व व्यवस्था के हित में है। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को यह आदेश जारी किया है और कांवेड़ यात्रा के मार्ग में स्थित सभी भोजन व पेय पदार्थ विक्रेताओं को इसका पालन करना है और इनको संचालित करने वाले संस्थानों के मालिक अपनी दुकान व संस्थान के बाहर पहचान के लिए अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। हालांकि, विपक्षी राजनीतिक दलों एवं मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की कटु

आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा शासित उज्जैन महानगर पालिका ने ऐसा ही एक संकुलन जारी किया है जिसमें शहर में मुस्लिमों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों व संस्थानों के बाहर अपना नाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करवाएं। उज्जैन महानगर पालिका के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रूपए का जुर्माना दसूरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रु का जुर्माना लगाया गया।

आलोचना की है तथा इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा शासित उज्जैन महानगर पालिका ने ऐसा ही एक संकुलन जारी किया है जिसमें शहर में मुस्लिमों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों व संस्थानों के बाहर अपना नाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित करवाएं। उज्जैन महानगर पालिका के बारे में कहा जाता है कि उसने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रूपए का जुर्माना दसूरी बार इसी तरह आदेश की अवहेलना करते पाए जाने पर 5000 रु का जुर्माना लगाया गया।